न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, शिवहर

Probate Case No.03/2010
O.S.-16/2011

रीमा देवी...आवेदिका

बनाम्

मिथिलेश देवी व अन्य ....विपक्षी

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री ज्ञान कुमार

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री संतोष भारद्वाज

उपस्थिति :– श्री उदयवन्त कुमार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर
05.06.2024

आदेश

दिनांक–
05.06.2024

आवेदिका की ओर से दो पृथक आवेदन दिनांक–03.04.2024 प्रदर्श अंकित करने तथा अन्य आवेदन दिनांक–03.04.2024 आवेदिका साक्षी सं0–03 को रिकॉल को आदेश देने हेतु पर आवेदक एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि नकल वजाप्ता खतियान खाता नं0–104 का एवं जगत नारायण सिंह के मूल मृत्यु प्रमाण पत्र लोक दस्तावेज है जिसे आवेदिका द्वारा दाखिल किया गया है। इसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने दूसरे आवेदन दिनांक–03.04.2024 के संबंध में कथन किये हैं कि आवेदिका द्वारा चार मूल केवाला दस्तावेज 1. 16.01.1978, 2. 10.02.1975, 3. 05.06.1974 एवं 4. 12.06.1969 दाखिल किया गया है जो 30 वर्ष पुराना है एवं वसियतकर्ता जगतनारायण सिंह के पक्ष तहरीर व तामिला किया गया है एवं उक्त संपत्ति को बसीयतकर्ता द्वारा अपने वसीयतनामा दिनांक–03.09.2001 में भी उल्लेख किया है जिसे कस्टडी प्रुफ कराना आवश्यक है। परन्तु आवेदिका का साक्ष्य आवेदिका साक्षी सं0–03 के रूप में दिनांक–18.03.2024 को हो चुका है। अतः आवेदिका साक्षी सं0–03 को रिकॉल करना आवश्यक है। अतः आवेदिका साक्षी सं0–3 को रिकॉल करने का आदेश दिया जाए।

उपस्थित विपक्षी की ओर से दोनों आवेदन पर कोई आपत्ती नहीं किया गया एवं आवेदनों पर 'No Objection' प्रतिवेदित किया गया है।

निवेदन स्वीकृत किया गया।

आवेदन दिनांक–03.04.2024 जो प्रदर्श अंकित करने हेतु लाया गया है पर आवेदिका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्श अंकित करावे तथा आवेदिका साक्षी सं0–3 रीमा देवी को रिकॉल पर साक्ष्य कराने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक–26.06.2024 वास्ते आवेदिका साक्ष्य।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
05.06.2024